DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-----------

हिन्दुस्तान

'पाक से आए शरणार्थियों के लिए बसाया गया था बाजार'

■ दिनेश वत्स

नई दिल्ली। मेहरचंद मार्केट के दुकानदार प्रवीन आनंद का कहना है कि बंटवारे के समय वर्ष 1947 में उनके दादाजी ब्रजलाल आनंद पाकिस्तान के रावलपिंडी से दिल्ली आए थे। दादा के साथ अनेक लोगों को इस रिफ्यूजी मार्केट में खोखे आवंटित किए गए थे।

दादा ने उनके पिता जयंचद और ताऊ विवेकानंद के साथ मिलकर किराने की दुकान खोली। उन्होंने गुड़, शक्कर और अन्य घरेलू सामान गाजियाबाद से लाकर यहां बेचते थे। जिस स्थान पर स्टेडियम बना है वहां जंगल होता था। उस वक्त खोखे का किराया पांच रुपये था। वह कहते हैं कि 1963 में दुकानें आवंटित की गई थीं। उस वक्त सम्पदा निदेशालय को 36 रुपये लाइसेंस फीस दी जाती थी। उनका कहना है कि वर्ष 1979 में दुकानों के मालिकाना हक को लेकर दुकानदारों ने आवाज उठाई। लेकिन वर्ष 1982 में एशियाड गेम्स हुए और लोधी कॉलोनी के समीप स्टेडियम बन गया और यहां का विकास होने लगा। वर्ष 1990 में वह इस मार्केट के पहले दुकानदार बने, जिसे मालिकाना हक मिला।

मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सखूजा का कहना है कि पुनर्विकास योजना को लेकर भूमि एवं सम्पदा विभाग से फाइल बनी। वर्ष 2007 में विभाग ने फाइल लोक बॉडी एमसीडी को भेज दिया था। इसके एक साल बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण, सीपीडब्ल्यूडी, एमसीडी सहित अन्य विभागों ने पुनर्विकास का प्लान तैयार किया। लेकिन, मार्केट के पुनर्विकास प्लान को अनुमति नहीं दी गई।

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 5 जुलाई 2022

डीडीए हेडक्वॉर्टर हुआ फायर सेफ्टी में फेल

दिल्ली फायर सर्विस ने दिया नोटिस

■ **विस, नई दिल्ली :** कुछ साल पहले तक राजधानी की सबसे उंची इमारतों में शामिल डीडीए के अपने हेडक्वॉर्टर विकास मीनार में फायर सेफ्टी से जुड़ी कई खामियां मिलीं हैं। दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से इसे लेकर डीडीए को एक नोटिस भी जारी किया गया है, साथ ही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट को रिन्यू करने से मना कर दिया गया है।

23 मंजिला विकास मीनार में डीडीए के कई अधिकारी बैठते हैं। दिल्ली फायर सर्विस के नोटिस के अनुसार डिपार्टमेंट की टीम ने 23 जून को विकास मीनार का निरीक्षण किया था। इस दौरान कई खामियां पाई गईं। इनमें बिल्डिंग के कई हिस्सों में इलेक्ट्रिक शाफ्ट का खुला होना व सील न होना, फायर डिटेक्टर भी कई जगहों पर खराब मिले, ऊपरी मंजिलों पर वॉटर स्प्रिंक्लर से पूरे ऑफिस एरिया का कवर न होना, एमओईएफए (मैन्युअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलॉर्म) भी ठीक नहीं मिले, बिल्डिंग के फायर पंप ऑटो स्टार्ट नहीं थे, हादसा होने की सूरत में सुरक्षित स्थान तक जाने का रास्ता नहीं है, सीढ़ियों और लिफ्ट लॉबी पर फर्नीचर और अलमारी रखी गई हैं जिससे आने जाने की जगह में अवरोध है।

इन कमियों के मिलने के बाद दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से विकास मीनार के फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट को रिन्यू करने से मना कर दिया गया है। वहीं विभाग की तरफ से डीडीए को कहा गया है कि वह इन सभी कमियों को जल्द से जल्द सुधारने के बाद विभाग को सूचना दें। फायर सेफ्टी के नियमों को पूरे न करने की सूरत में बिल्डिंग में होने वाले किसी भी हादसे की जिम्मेदारी बिल्डिंग के मालिक की होगी। डीडीए की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि डीडीए की रिक्वेस्ट पर ही दिल्ली फायर सर्विस की टीम ने 23 जून को विकास मीनार का फायर सेफ्टी निरीक्षण किया था।

1972 में बने विकास मीनार के निरीक्षण की अपील फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से 17 मई 2022 को की गई थी। इस दौरान समय-समय फायर सेफ्टी के बायलॉज, एडवांस फायर टेक्नॉलजी आदि आई हैं और इनमें बदलाव हुए हैं।

विकास मीनार में है डीडीए मुख्यालय

दिखाई सख्ती

- खामियों की वजह से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी रिन्यू नहीं किया गया
- डीडीए का दावा, कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा

सरकारी स्कूलों को बंद करने के दावे पर हुई तीखी बहस

■ **विस, नई दिल्ली :** विधानसभा के विशेष सत्र में सरकारी स्कूलों के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। नेता विपक्ष ने एक सरकारी स्कूल को बंद करने का दावा करते हुए सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाए, तो जवाब में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एमसीडी के स्कूलों की हालत को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने स्कूल की जमीन का लैंड यूज चेंज करके वहां बीजेपी का दफ्तर खोले जाने का दावा करते हुए केंद्र सरकार, एलजी और डीडीए को भी आड़े हाथों लिया। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भी हंगामे और बहसबाजी पर उतर आए।

स्पीकर ने मार्शल्स बुलाकर बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट को सदन से बाहर कराया, विरोध में विपक्षी विधायकों ने वॉकआउट किया

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS दैनिक जागरण नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2022 DATED----------------------

दूसरों का घर बनाने वालों की अपनी इमारत ही आग से नहीं सुरक्षित

दिल्ली अग्निशमन विभाग को डीडीए के 23 मंजिला विकास मीनार में मिलीं फायर सेफ्टी से जुड़ी कई खामियां

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : आइटीओ स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के विकास मीनार में फायर सेफ्टी से जुड़ीं कई खामियां मिली हैं। इसको लेकर दिल्ली अग्निशमन विभाग ने डीडीए को नोटिस भेजा है। 23 मंजिला विकास मीनार में डीडीए के कई अधिकारी बैठते हैं।

अग्निशमन विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस के अनुसार विभाग की टीम ने 21 जून को विकास मीनार का निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण में कई खामियां पाई गईं। इनमें इमारत के कई हिस्सों में इलेक्ट्रिक शाफ्ट का खुला होना, फायर डिटेक्टर भी कई जगहों पर खराब मिले, ऊपरी मंजिलों पर वाटर स्प्रिंक्लर से पूरे आफिस एरिया को कवर नहीं किया गया है, फायर अलार्म भी ठीक नहीं मिले, इमारत के फायर पंप आटो स्टार्ट नहीं थे। हादसा होने पर सुरक्षित स्थान तक जाने का रास्ता नहीं है, सीढ़ियों और लिफ्ट लाबी पर फर्नीचर और अलमारी रखी गई।

इमारत में खामियां मिलने पर अग्निशमन विभाग की तरफ से विकास मीनार के फायर एनओसी को रिन्यू करने से मना कर दिया गया है। विभाग की तरफ से डीडीए को कहा गया है कि खामियों को जल्द दूर कर विभाग को सूचना दें। डीडीए के प्रवक्ता का कहना है कि डीडीए के निवेदन पर अग्निशमन विभाग की ओर से 23 जून को विकास मिनार का फायर सेफ्टी निरीक्षण किया था। 1972 में बनी विकास मीनार के निरीक्षण की अपील फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से 17 मई 2022 को की गई थी। फायर सेफ्टी के बायलाज, फायर टेक्नालाजी इनमें बदलाव हुए हैं। दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से जो कमियां बताई गई है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा ।

वर्षा जल संचयन व जाम के मुद्दे पर दें स्थिति रिपोर्ट : हाई कोर्ट

जासं, नई दिल्ली: वर्षा जल संचयन के प्रयास और मानसून के दौरान दिल्ली में यातायात जाम के मुद्दे का स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार समेत अभी स्थानीय एजेंसियों को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने सुनवाई 17 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। अखबार में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति जसमीत सिंह व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने जनहित याचिका शुरू की थी। पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ डीडीए, निगमायुक्त, पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था।

Hindustan Times

Uproar in House after BJP says AAP closed several govt schools

HT Correspondent
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Legislators of the Bharatiya Janata Party (BJP) on Monday staged a walkout from the Delhi assembly following a furore over the alleged closure of schools by the Aam Aadmi Party (AAP) government.

In a special mention under Rule 280, leader of opposition Ramvir Singh Bidhuri raised the issue of closure of Delhi government schools and claimed that a Sarvodaya school in Ludlow Castle, near Kashmere Gate ISBT has been shut.

"The government said the school has been shut with the consensus of the parents and the school management. The school, named after freedom struggle martyr Amir Chand, is being converted into the Delhi Sports University. By closing the school, the government is disrespecting a martyr. I urge the government to not close the school," Bidhuri said.

Delhi deputy chief minister Manish Sisodia, who also holds the education portfolio, dismissed the allegations as baseless and said, "This is a false allegation by the leader of the opposition. The Kejriwal government believes in opening schools, not closing them."

Sisodia said that Delhi Development Authority (DDA) land was deliberately given to private schools and not government ones. "The BJP, with the LG, changed land use to pave the way for party headquarters building on land meant for schools. There has been a merger of two shifts in schools and it is being misled as closure of schools. We are going to start Delhi Sports University and they are saying we are closing schools. It was the BJP that closed hundreds of civic body schools," he said.

Even after Sisodia's reply, BJP legislators continued to protest in the house.

Later, Speaker Ram Niwas Goel ordered marshals to remove BJP MLA Mohan Singh Bisht from the House, and other BJP MLAs walked out in protest.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI TUESDAY, JULY 5, 2022 -----DATED-----------------------

Will act against any laxity on desilting, says Sisodia

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Taking a serious view of the complaints of waterlogging by Delhi's MLAs, deputy chief minister Manish Sisodia said he was willing to act against engineers of the Public Works Department for laxity if specific examples of uncleared drains were brought to his notice. He, however, added that the Municipal Corporation of Delhi would also have to take responsibility and initiate action against its engineers for falsifying desilting records.

Responding to a discussion initiated by his party MLAs on the "negligent and irresponsible attitude of MCD in preparing for the monsoons", Sisodia said it was a crime for any agency to leave a drain without desilting because this put people to great inconvenience across the city.

"There is confusion among people over the jurisdiction of agencies. It's a crime if any agency claims to have desilted a drain without actually having done it. If I come to know that this happened in any PWD drain, I will take action against the guilty," Sisodia said. He said that nearly 2,000km of the city's drains fell under PWD's jurisdiction and the rest were maintained by MCD, DDA and other agencies.

Sisodia said when the three municipal corporations existed, Delhi government, through the director of local government, received reports on the drain clearance from the civic bodies. "But after the unification, due to the new rules, MCD has abolished that arrangement. Delhi Assembly cannot even ask questions on issues pertaining to MCD," Sisodia claimed.

Earlier, a war of words played out between the AAP and BJP MLAs with each blaming the other for waterlogging in the city. While the AAP MLAs held MCD responsible for the rain hassles, the BJP legislators accused PWD, which is under Delhi government, for the flooding.

From AAP, MLAs Rituraj Govind, Kuldeep Kumar and Sanjeev Jha participated in the discussion while BJP countered with its members, Abhay Verma and Jitendra Mahajan. Verma said a single agency should be given the task of desilting drains and

Mahajan demanded a joint committee which would oversee the drain cleaning rising above party politics.

Rajesh Mehta

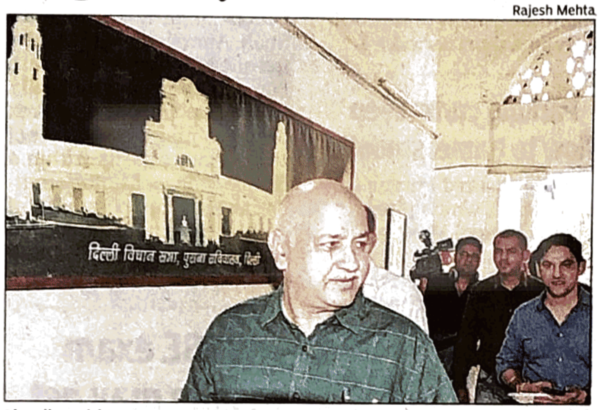

Sisodia said MCD must take responsibility for monsoon-readiness too

Getting voter ID card tough: AAP MLA

Aam Aadmi Party MLA Akhilesh Pati Tripathi on Monday alleged that getting an electors photo identity card (EPIC) in Delhi has become very difficult. Speaking at the Delhi legislative assembly, Tripathi alleged that at voter registration and electoral offices, voters are told that either the internet is not available, or machines are not working. He also alleged that if someone misplaces their EPIC, getting a duplicate is not easy and, in many cases, the new cards are not even sent to their residence. Tripathi further alleged that during the recently held bypoll to Rajendra Nagar assembly constituency, many voters found their names deleted from the electoral rolls. TNN

HC gives four weeks to govts to clear stand on rainwater harvesting

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi High Court on Monday granted four weeks' time to the Centre, Delhi government and several local authorities to file their stand on the issue of rainwater harvesting and easing traffic jams in the national capital during monsoon. A bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad gave time to the authorities after noting that barring a few of them, others have not yet filed their status reports.

The court was hearing a PIL initiated on its own based on a **TOI** report on lack of rainwater harvesting efforts in Delhi. In June, a bench of justices Jasmeet Singh and Dinesh Kumar Sharma had taken suo motu cognisance saying that it is a matter of public importance and directed the authorities to file their status reports.

The court had issued notices to the Centre and Delhi government, New Delhi Municipal Council, Delhi Development Authority, Municipal Corporation of Delhi, Public Works Department, Delhi Police, Special Commissioner of Police (Traffic), Delhi Jal Board, Delhi Cantonment Board and the Irrigation and flood control department.

It had sought a detailed report by all the agencies concerned on the steps taken to store and harvest rainwater. It also asked for details on the steps undertaken to address and ease traffic jams/snarls during monsoon and other periods. The bench further highlighted that inadequate rainwater management has a direct link with traffic snarls.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
TUESDAY, JULY 5, 2022 ----DATED----

Fire dept rejects renewal of safety certificate of DDA Vikas Minar office

Times News Network

File photo

OLD ISN'T GOLD?

New Delhi: Delhi Fire Service (DFS) has rejected the renewal of the fire safety certificate of Delhi Development Authority's Vikas Minar building, which completes a half-century this year.

In a letter written to the DDA commissioner, DFS director Atul Garg mentioned that the request for the renewal of the certificate has been rejected in view of a large number of shortcomings found during an inspection of the high-rise building on June 23 this year.

According to the letter, the inspection team found that the electrical shafts and opening are not sealed horizontally and vertically. Fire detectors were found to be non-functional on some floors, and sprinklers were not covering the entire office area on upper floors and are required to be extended in the areas that are left out. The team discovered that the manually-operated electronic fire alarm system was non-functional too.

The other shortcomings pointed out by the officials include different furniture and other items encroaching on the staircase and elevator lobby; fire pumps not in auto-start provision; the approach to the 'refuge area' not allowed through the area occupied by offices.

DFS has requested DDA to rectify the shortcomings in the Vikas Minar at the earliest as the occupancy of the building and its premises, in absence of requisite fire and life safety arrangements, shall be at the risk and liability of owners and occupiers. It has also mentioned that statutory and licensing authorities may take suitable action.

In a statement, DDA said that the fire safety inspection was conducted by a team of DFS on June 23, in response to a DDA requisition on May 17, 2022. "Vikas Minar was constructed in 1972. Many changes in advanced fire technologies, bye-laws, etc, have occurred in the course of time. Observations raised by DFS will be acted on priority and DFS will be called again for re-inspection," the authority said.

When DDA completed the construction of Vikas Minar in the early 1970s, it became the first building in Delhi to surpass the Qutub Minar in height and remained the capital's tallest for many years. The iconic building houses many important departments of DDA, including planning and horticulture.

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 5 जुलाई 2022 5

4 हफ्तों में दें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पर स्टेटस रिपोर्ट : HC

■ प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने मॉनसून के दौरान यहां रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (RWHS) और ट्रैफिक जाम को कम करने के मुद्दे पर केंद्र, दिल्ली सरकार और दूसरे कई स्थानीय प्राधिकारियों को अपनी स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए सोमवार को चार हफ्तों का समय दिया। 'वर्षा जल संचयन' बारिश के पानी को किसी खास तरीके से इकट्ठा करने की प्रक्रिया को कहा जाता है।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने पाया कि कुछ पक्षों के अलावा अन्य किसी ने रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। अधिकारियों ने इसके लिए कुछ समय देने की अदालत से मांग की। इस पर हाई कोर्ट ने उन्हें चार हफ्तों का समय दिया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख तय कर दी। जस्टिस जसमीत सिंह और जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की वेकेशन बेंच ने जून में मीडिया की खबरों पर खुद से संज्ञान लेते हुए कहा था कि यह जनहित का मुद्दा है। साथ ही, अधिकारियों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार, एनडीएमसी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली पुलिस, स्पेशल पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक), दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड और बाढ़ व सिंचाई विभाग को नोटिस जारी किया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- अमर उजाला ---DATED- 05/07/2022

डीडीए की विकास मीनार असुरक्षित

अमर उजाला ब्यूरो

अग्निशमन विभाग ने अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करने से मना किया

नई दिल्ली। राजधानी में आवास उपलब्ध कराने के मामले में वर्षों से अहम भूमिका निभा रहे डीडीए की इमारत विकास मीनार अग्नि सुरक्षा के मामले में असुरक्षित है। इसका खुलासा दिल्ली अग्निशमन विभाग की एक टीम ने किया है। विकास मीनार के निरीक्षण के दौरान अनेक खामियां मिली हैं। इस कारण अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने से मना कर दिया है।

डीडीए ने हाल ही में अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन किया था। इसके तहत दिल्ली अग्निशमन विभाग की टीम ने गत 23 जून को विकास मीनार का निरीक्षण किया था। इस दौरान मीनार में अग्नि सुरक्षा के मामले में मिली खामियों के संबंध में दिल्ली अग्निशमन विभाग ने एक जुलाई को डीडीए के तमाम संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों को एक पत्र भेजकर अवगत कराया है। इतना ही नहीं, दिल्ली अग्निशमन विभाग ने डीडीए के अधिकारियों को समस्त खामियां

डीडीए की बिल्डिंग।

दूर कराने के निर्देश दिए है। दिल्ली अग्निशमन विभाग की टीम को विकास मीनार में बिजली के बॉक्स जर्जर हालत में मिले। ये न तो पूरी तरह से बंद थे और न ही इन बॉक्स को बंद किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ मंजिलों पर स्मोक डिटेक्टर खराब मिले, ये आग लगने की स्थिति में काम नहीं करने की स्थिति में नहीं मिले। आग से बचाव के लिए फायर अलार्म सिस्टम भी चालू स्थिति में नहीं मिले। इसी तरह फायर पंप भी स्वचालित हालत में नहीं थे, जबकि कार्यालय परिसर में खाली छोड़े गए स्थान पर सामान रखा मिला।

खामियों को किया जा रहा है दूर : डीडीए डीडीए के प्रवक्ता ने बताया कि गत 17 मई को अग्निशमन विभाग की टीम से विकास मीनार का निरीक्षण करने का आग्रह किया था। टीम ने 23 जून को निरीक्षण किया था। विकास मीनार का निर्माण 1972 में किया गया था। लिहाजा समय के साथ उपनियमों आदि में कई बदलाव हुए हैं। विभाग की ओर से दर्ज की गई आपत्ति पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और विभाग को पुनः निरीक्षण के लिए बुलाया जाएगा।

उपराज्यपाल बैठक कर रहे हैं तो आपत्ति क्यों

सदन में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना राजधानी के अभिभावक के रूप में काम कर रहे हैं। उन पर अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाना आप सरकार के छोटेपन को दर्शाता है।

उपराज्यपाल अपने एसी कमरे में नहीं बैठे हैं, बल्कि वह विभिन्न विभागों में तालमेल के लिए उनकी बैठकें कर रहे हैं। वह सिर्फ जल बोर्ड की बैठक नहीं ले रहे, बल्कि उन्होंने डीडीए के अफसरों को भी भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया है। उपराज्यपाल के पक्ष में नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि वह नई दिल्ली नगर पालिका के अधिकारियों से भी जवाब-तलब कर रहे हैं। उपराज्यपाल उन जगहों पर गए हैं, जहां हर वर्ष जलभराव की समस्या पैदा होती है। दिल्ली में पानी की कमी और प्रदूषण पर अगर उपराज्यपाल बैठक कर रहे हैं तो फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

नौ हजार संपत्तियों को डीसील का इंतजार

सुप्रीम कोर्ट की मॉनीटरिंग कमेटी ने साल 2018 में दिल्ली के रिहायशी इलाकों में स्थित करीब नौ हजार संपत्तियों को सील किया था। एमसीडी अधिकारियों के मुताबिक, कमेटी ने जुलाई के अंत तक इनमें से करीब चार हजार संपत्तियों को डीसील करने की योजना बनाई है। इसके लिए कमेटी ने अप्रैल में डीडीए को एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया था और तीन महीने में रिपोर्ट पेश करने को कहा था। इसी योजना के तहत एमसीडी द्वारा सील संपत्तियों के मालिकों से एक एफीडेविड लिए जा रहे हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | TUESDAY, 5 JULY, 2022 ------------------------------DATED------------------------------

DFS authorities find 'shortcomings' in fire safety management system at Vikas Minar

NEW DELHI: Delhi Fire Service (DFS) authorities have pointed to several "shortcomings" in the fire safety management system, including fire detectors found non-functional at some floors, during the inspection of DDA's 23-storey Vikas Minar building in the heart of the city.

The observations, which also include staircase and lift lobby area, found encroached by dumping of furniture and almirah, were made by DFS authorities after a recent fire safety inspection of the towering landmark located in ITO area.

"Fire safety inspection was conducted by a team of DFS on June 23 in response to a requisition by the DDA dated May 17. Vikas Minar was constructed in 1972. Many changes in advance fire technologies, byelaws, etc have occurred in the course of time. Observation raised by the DFS will be acted upon on priority and the DFS will be called again for re-inspection," a senior DDA official said.

The shortcomings have been pointed out in a letter written recently by DFS authorities to the DDA after the inspection.

A copy of the letter was shared by an activist on Twitter, who raised concern about the safety of the towering building which houses several key offices of the Delhi Development Authority (DDA).

The headquarters of the urban body is located in Vikas Sadan in INA area. The DDA in its response on Twitter to his post has sad that this subject has been forwarded to the department concerned. MPOST

HC grants 4 weeks to Centre, govt to reply on rainwater harvesting issue

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi High Court on Monday granted four weeks' time to the Centre, Delhi government and several local authorities here to file their stand on the issue of rainwater harvesting and easing traffic jams in the national capital during monsoon.

A bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad gave time to the authorities, while noting that barring a few of them, others have not filed their status reports.

Respondents are granted four weeks' time to file their status reports. List on August 17, the bench said.

The court was hearing a PIL initiated on its own, while noting that there was lack of rainwater harvesting efforts in the city.

In June, a bench of Justices Jasmeet Singh and Dinesh Kumar Sharma had taken suo motu cognizance of issues based on a news report, saying that it is a matter of public importance and directed authorities to file their status report.

The court had issued notices to the Centre and Delhi government, New Delhi Municipal Council, Delhi Development Authority, Municipal Corporation of Delhi, Public Works Department, Delhi Police, Special Commissioner of Police (Traffic), Delhi Jal Board, Delhi Cantonment Board and Flood Irrigation Department.

दैनिक भास्कर

डीडीए और दिल्ली अग्निशमन विभाग दोनों की लापरवाह

विकास मीनार को अग्निशमन विभाग का सर्टिफिकेट नहीं

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण(डीडीए) के विकास मीनार को दिल्ली अग्निशमन विभाग का सर्टिफिकेट नहीं होने का मामला सामने आया है। इस मामले में डीडीए और दिल्ली अग्निशमन विभाग दोनों की लापरवाही और सामंजस्य का अभाव सामने आया है। 1972 में बने विकास मीनार में समय-समय पर कई बदलाव हुए और उसी का फायदा उठाकर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेने में बहाने बाजी चलती रही और अंत में यह मामला सामने आ ही गया कि इतनी उंची सरकारी इमारत को आखिर दिल्ली अग्निशमन विभाग (डीएफएस) से सेफ्टी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? इस मामले में डीडीए के प्रवक्ता से बात करने की कोशिश की गई लेकिन वे उपलब्ध नहीं हो सके।

साल 2010 से पहले दिल्ली की उंची इमारत और अन्य व्यावसायिक जगहों यथा होटल, रेस्टोरेंट, जिम, स्कूल और कालेज आदि को जांच के बाद एक ही बार में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दे दिया जाता था लेकिन 2010 के बाद तीन-तीन साल में जांच के बाद फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नाम से इसे दिया जाने लगा। डीडीए ने काफी समय तक नियम बदलने के बाद इस ओर ध्यान नहीं दिया। अकस्मात डीडीए ने इसी साल 17 मई को डीएफएस को जांच के लिए आवेदन किया और फिर 23 जून को पत्र लिखा। लेकिन तकनीक, बायलाज में कई प्रकार के बदलाव के कारण इस दिशा में न तो डीडीए ने कोई जरूरत महसूस की न ही डीएफएस अपनी ओर से कोई कार्रवाई शुरू की। डीएफएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि दरअसल डीएफएस में भी कई प्रकार की लापरवाही है। डीएफएस एक्ट के मुताबिक उसे खुद भी जांच करने का अधिकार है जबकि नियमानुसार जांच प्रपत्र भरने के बाद टीमें गठित होती है। लेकिन इस मामले में दोनों तरफ से लापरवाही सामने आ रही है।

डीएफएस के अधिकारियों में भी समन्वय का अभाव

डीएफएस के अधिकारियों में भी समन्वय का अभाव है। बताया जा रहा है कि एक्ट के मुताबिक डीएफएस के मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निदेशक को रिपोर्ट करना पड़ता है। जबकि उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी को मुख्य अधिकारी को रिपोर्ट करना चाहिए लेकिन वे सीधे निदेशक को रिपोर्ट कर मुख्य को अनदेखी करते हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

DELHI THE HINDU
TUESDAY, JULY 5, 2022

-DATED---------------------

AAP says Centre, L-G 'toying with officials'

BJP says Saxena is Delhi's 'guardian', calls AAP 'narrow minded'

SPECIAL CORRESPONDENT
NEW DELHI

BJP MLAs Mohan Singh Bisht and Abhay Verma (right), who were marshalled out of the Delhi Assembly on Monday, the first day of the monsoon session ▪ SHIV KUMAR PUSHPAKAR

A war of words broke out between the MLAs of the Aam Aadmi Party (AAP) and the Bharatiya Janata Party (BJP) over the issue of services in the Delhi Assembly on Monday.

AAP MLAs including Deputy Chief Minister Manish Sisodia lashed out at the BJP-led Centre for "making a mockery of the Constitution" by allegedly snatching matters related to services from the elected AAP government and bringing it under the purview of the Lieutenant-Governor.

During a discussion on the topic, Mr. Sisodia expressed displeasure over the Centre "forsaking public interest" and "toying around" with senior officials posted in the Higher Education Department because of which, he added, lakhs of students were bearing the brunt.

'Deck of cards'

"The Central government is playing with the future of 6 lakh children of Delhi by repeatedly transferring senior officers after unconstitutionally stanching away the Services Department from the Kejriwal government," Mr. Sisodia alleged.

"The BJP Central government is playing musical chairs with the elected government. Officers are being shuffled like a deck of cards. The higher education sector in Delhi is under threat because of the Centre's tyranny," the Deputy Chief Minister added.

Mr. Sisodia also said that the admissions in Delhi government-run universities were under way but no one had been appointed to the post of Director of Higher Education since the previous director was transferred 22 days ago.

Frequent transfers

AAP MLA Saurabh Bharadwaj alleged that junior engineers employed by the Municipal Corporation of Delhi were allowed to remain in the same post for years but the principal secretary of the Higher Education Department got "transferred every other day".

"Nine principal secretaries and seven directors have been changed in the Department of Training and Technical Education," Mr. Bharadwaj alleged. Training his guns at the L-G, Mr. Sisodia said since the L-G was a representative of the Centre, any failures or lapses on his part were also failures of the Central government.

BJP responds

Mr. Sisodia's allegations against the Centre and the L-G were rebutted by Leader of the Opposition in the Delhi Assembly Ramvir Singh Bidhuri.

Mr. Bidhuri said the Services Department was currently under the L-G and the legal dispute between the Delhi government and the Centre over administrative services was pending in the Supreme Court.

Till the time the apex court decides on the matter, Mr. Bidhuri added, the authority of transfers and postings of officials will remain with the L-G. "The Delhi government should act with restraint and respect in this matter as the L-G is working to bring about reforms in the city," Mr. Bidhuri said.

Mr. Bidhuri added that the recently appointed L-G, V.K. Saxena, was working as the "guardian" of the city's residents and that accusing Mr. Saxena of abuse of authority showed the "narrow-mindedness of the AAP government."

"The L-G is not sitting in his AC room, but holding meetings with various departments. He has suspended DDA's officers on charges of corruption," Mr. Bidhuri said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--DATED--

DELHI THE HINDU
TUESDAY, JULY 5, 2022

DFS rejects fire NOC of Vikas Minar, cites shortcomings

The entire building has not been declared unsafe: DFS Chief

STAFF REPORTER
NEW DELHI

The Vikas Minar building in ITO here has failed to meet fire safety guidelines mandated by the Delhi Fire Service (DFS) and the renewal of its fire no-objection certificate has been rejected, according to a letter issued by the agency.

The building houses several key offices of the Delhi Development Authority (DDA). The 23-storey building, which stands at 82 metres, was once the tallest building in the Capital.

According to the letter dated July 1, the DFS observed several shortcomings in the building, which include unsealed electrical shafts, staircase and lift lobby encroached by dumped furniture, among others, in the inspection of the five-decade-old building carried out on June 23. DFS director Atul Garg said while the request for the NOC has been rejected, the entire building has not been declared unsafe. He added that a request for the renewal of the fire NOC has to be made every three years.

"Only the request for renewal has been rejected and after rectifying the said shortcomings at the earliest, they can request for the renewal again," said Mr. Garg.

Other safety issues noted by the agency included fire pumps without auto start provision, dysfunctional fire detectors and manually operated electronic fire alarm system, according to the DFS Chief.

Responding to the development, a DDA spokesperson said, "Vikas Minar was constructed in 1972. Many changes in advanced fire technologies, bye-laws etc. have occurred in the course of time. Observations raised by the DFS will be acted upon priority and the DFS will be called for re-inspection."

पंजाब केसरी
DELHI

डीडीए : में नहीं फायर सेफ्टी की एनओसी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के मुख्यालय के पास फायर सेफ्टी का एनओसी नहीं है। हालांकि डीडीए का दावा है कि उन्होंने एनओसी के लिए आवेदन किया हुआ है। दरअसल एनओसी को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि बड़े कमाल की बात है खुद डीडीए की बिल्डिंग विकास मीनार फायर सेफ्टी के लिहाज से सुरक्षित नही है। जब डीडीए अपनी ही बिल्डिंग को फायर सेफ्टी के मानकों पर खरा नही उतार पाया तो दिल्ली का विकास भी कैसा हुआ होगा यह अपने आप मे संदेहास्पद विषय है। वहीं इस सवाल पर डीडीए के अधिकारियों ने कहा कि 17 मई के आवेदन पर 23 जून को दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) की टीम ने अग्नि सुरक्षा को लेकर मुख्यालय का निरीक्षण किया। विकास मीनार का निर्माण 1972 में किया गया है। समय के साथ अग्रिम अग्नि प्रौद्योगिकियों, उपनियमों आदि में कई बदलाव हुए हैं। इसके बादे में दकमल विभाग को बताया गया है। साथ ही उन्हें कहा गया है कि प्राथमिकता के आधार पर यहां जांच की जाए। डीएफएस को पुनः निरीक्षण के लिए बुलाया गया है।

Centre, Delhi govt. granted 4 weeks to respond to petition on water harvesting

Authorities asked to share details of rainwater harvesting structures

STAFF REPORTER
NEW DELHI

The Delhi High Court on Monday gave four weeks to the Centre, Delhi government and local authorities here to submit their response related to the lack of rainwater harvesting structures and easing traffic jams in the Capital during monsoon.

A Bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad listed the public interest litigation (PIL) initiated by the High Court for further hearing on August 17.

Lack of RWH structures

Last month, the High Court took cognisance of a news report that highlighted the lack of rainwater harvesting structures in the Capital, following which it issued notices to various government departments.

Taking suo motu cognisance of the matter due to its public importance, the High Court had issued notices to Union Ministry of Urban Development and Ministry of Road Transport, the Delhi government, the Delhi Development Authority, Delhi Jal Board, the Municipal Corporation of Delhi, Public Works Department, Commissioner of Police and Special C.P. (Traffic).

The Vacation Bench of Justice Jasmeet Singh and Justice Dinesh Kumar Sharma had sought to know from the authorities the steps undertaken to address traffic jams and snarls in Delhi during monsoons.

Taking note of the traffic snarls in Delhi that exist despite the monsoon season, the Bench had said it can "easily be controlled and regulated instantly through rainwater management as well as with the assistance of Google Maps which shows traffic jams in various parts of Delhi".

In August last year, the Delhi Jal Board introduced a scheme to provide financial assistance of up to ₹50,000 to install rooftop rainwater harvesting systems in group housing societies, schools and hospitals having properties of plot size of 100 square metres and above. The Delhi government has been extending the last date for the compulsory implementation of rooftop rainwater harvesting systems, for long.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------------- 5 जुलाई • 2022 राष्ट्रीय सहारा

सभी पक्ष चार हफ्ते में रुख स्पष्ट करें : हाईकोर्ट

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मानसून के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में वर्षा जल संचयन और यातायात जाम को कम करने के मुद्दे पर केंद्र, दिल्ली सरकार और कई स्थानीय प्राधिकारियों को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

'वर्षा जल संचयन' बारिश के पानी को किसी खास माध्यम से संचय करने या इकट्ठा करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। सोमवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एक पीठ ने पाया कि कुछ पक्षों के अलावा अन्य किसी ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं की है और इसके बाद अधिकारियों को उन्होंने और समय दिया। पीठ ने कहा कि प्रतिवादियों को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाता है। मामले को 17 अगस्त के लिए सूचीबद्ध करें।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एक पीठ ने जून में मीडिया की खबरों

वर्षा जल संचयन का मामला

पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा था, 'यह लोकहित का मुद्दा है।' साथ ही, अधिकारियों को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।अदालत ने केंद्र तथा दिल्ली सरकार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), लोक निर्माण विभाग, दिल्ली पुलिस, विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात), दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली छावनी बोर्ड और बाढ़ एवं सिंचाई विभाग को नोटिस जारी किया था। अदालत ने कहा था, ' सभी पक्षों को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने दें... जिसमें दिल्ली में मानूसन तथा बाकी समय के लिए एजेंसियों द्वारा वर्षा जल संचय के लिए उठाए गए कदमों और जाम से बचने के लिए किए प्रयासों का उल्लेख हो।'

अदालत ने एक आदेश में वर्षा जल सचंय के प्रयासों की कमी को रेखांकित करते हुए कहा था, 'दिल्ली में यातायात जाम की बड़ी समस्या है, जिससे हमारे अनुसार वर्षा जल प्रबंधन के साथ-साथ 'गूगल मैप' की सहायता से आसानी से निपटा जा सकता है।'

विकास मीनार की फायर सेफ्टी प्रणाली में अग्निशमन विभाग को मिलीं खामियां

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की आईटीओ स्थिति बहुमंजिला इमारत विकास मीनार की फायर सेफ्टी प्रणाली में अग्निशमन विभाग को खामियां मिली हैं। निरीक्षण के बाद विभाग ने इस संबंध में डीडीए को नोटिस भी जारी किया है। हालांकि डीडीए का कहना है कि खामियों को दूर किया जा रहा है। डीडीए की इस 23 मंजिला इमारत में कई महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी बैठते हैं। इसमें इंजीनियरिंग विभाग भी शामिल है।

डीडीए की ओर से जारी बयान में कहा है कि उनके आग्रह पर ही दिल्ली अग्निशमन विभाग की टीम ने बीते महीने 23 जून को विकास मीनार के फायर सेफ्टी विभाग का निरीक्षण किया था। 1972 में इस इमारत के फायर सेफ्टी विभाग के निरीक्षण के लिए 17 मई, 2022 को आग्रह किया था। प्राधिकरण का कहना है कि इतने लंबे समय में फायर सेफ्टी प्रणाली में काफी बदलाव हुए हैं। इस समय यह प्रणाली काफी एडवांस है। दिल्ली अग्निशमन विभाग की ओर से जो खामियां

निरीक्षण टीम ने डीडीए को भेजा नोटिस

खामियों को दूर किया जा रहा है : डीडीए

बताई गई हैं, उन्हें बगैर समय जाया किए प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जा रहा है। नोटिस में उल्लेखित कमियों को दूर करने के बाद विभाग की टीम को निरीक्षण के लिए दोबारा बुलाया जाएगा।

दरअसल विकास मीनार के कुछ हिस्सों में इलेक्ट्रिक शाफ्ट का खुला होना, यानी सील न होना, फायर डिडेक्टर भी कई जगहों पर खराब मिले हैं, ऊपरी मंजिलों पर वॉटर स्प्रिंक्लर से पूरे ऑफिस एरिया को कवर नहीं किया गया है, एमओईएफए (मैन्युअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलॉर्म) भी ठीक नहीं मिले, बिल्डिंग के फायर पंप ऑटो स्टार्ट नहीं मिले। दुर्घटना होने की सूरत में रिफूज एरिया (सुरक्षित स्थान) तक जाने का रास्ता साफ नहीं है। सीढ़ियों और लिफ्ट लॉबी पर फर्नीचर एवं अलमारी रखी हुई हैं। यानी सुरक्षित स्थान तक पहुंचने में काफी अवरोध है। यह खामियां मिलने के बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग ने विकास मीनारी के फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट को रिन्यू करने से मना कर दिया। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों डीडीए से इन सभी कमियों को सुधारने के बाद विभाग को सूचना देने को कहा है।